-: कार्यालय कलेक्टर जिला – खंडवा (म0प्र0) :-

क्रमांक–क/वित्त/2017/ खंडवा, दिनांक /06/2017

प्रति

BT REGD. POST A.D.

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
म0प्र0 शासन,
जनसम्पर्क भवन, बाणगंगा,
भोपाल.

विषय :- निष्प्रयोजित कार्यालयीन शासकीय वाहन एम.पी.–02–5350 (महिन्द्रा मार्शल) के नीलामी (खुली नीलामी) हेतु विज्ञप्ति प्रसारण बाबद् ।

---00---

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि जिला कार्यालय खंडवा की निष्प्रयोजित कार्यालयीन शासकीय वाहन एम.पी.–02–5350 (महिन्द्रा मार्शल) के विकय हेतु संलग्न वाहन नीलामी (खुली नीलामी) विज्ञप्ति का प्रकाशन निशुल्क स्थानीय दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- सहपत्र चार निविदा
विज्ञप्ति ।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला – खंडवा म0प्र0

पृ0कं0–क/वित्त/2017/9062 खंडवा, दिनांक 21/06/17

प्रतिलिपि :-

1– अनुविभागीय अधिकारी पुनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

2– तहसीलदार पुनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

3– सहायक संचालक, जनसम्पर्क, खंडवा की ओर विस्तृत निविदा की प्रति सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित ।

4– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी खंडवा/प्रबंधक जिला "ई गर्वन्स सोसायटी खंडवा की ओर विस्तृत निविदा विज्ञप्ति संलग्न की जाकर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को कलेक्टर जिला – खंडवा की वेब साईड पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते–कलेक्टर जिला – खंडवा म0प्र0

–: कार्यालय कलेक्टर जिला – खंडवा (म0प्र0) :–

क्रमांक–क/वित्त/2016/8989 खंडवा, दिनांक 20/06/2017

घोष विक्रय (खुली नीलामी) हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि कलेक्टर कार्यालय खंडवा की निम्न निष्प्रयोजित **महिन्द्रा जीप MP-02-5350 (महिन्द्रा मार्शल)** "जहाँ है जैसी हैं" की बिक्री हेतु खुली नीलामी (घोष विक्रय) दिनांक **12-07-2017** को अपरान्ह **3-00** बजे **तहसील कार्यालय पुनासा** में की जावेगी :–

स0क्र0	वाहन का पंजीयन क्र0	मेकर का नाम	निर्माण वर्ष	सरकारी बोली
1	एम.पी.–02–5350 महिन्द्रा मार्शल	मे0 महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि0 मुम्बई	12/2000	**55000/- (पचपन हजार)**

–: शर्ते :–

(1) वाहन **जहाँ जिस हालत में रखा/खडा हैं** उसी हालत में नीलाम किया जावेगा ।

(2) वाहन से संबंधित अभिलेख यथा आर.सी.बुक, एवं अन्य प्रदाय नहीं किये जावेगें ।

(3) वाहन का निरीक्षण **तहसीलदार पुनासा के कार्यालय** में कार्यालयीन समय में कर सकते हैं ।

(4) नीलामी में बोली लगाने के पूर्व वाहन हेतु रूपये 10000/– (दस हजार) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि तहसीलदार पुनासा के नाम से देय हो धरोहर की राशि नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक **11-07-2017** को अपरान्ह **3-00** बजे तक नायब नाजीर तहसील कार्यलय पुनासा के पास जमा कराना अनिवार्य होगी ।

(5) नीलामी कार्यवाही के दौरान उच्चतम बोली जिस पक्षकार की प्राप्त होगी, उसको नीलामी मूल्य की 25% राशि तत्काल जमा कराना होगी, अगर कोई इसका पालन नहीं करता हैं तो उसकी जमा धरोहर राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात हो जावेगी, तथा उसकी नीलामी निरस्त मान्य की जावेगी ।

(6) अंतिम बोली की पुष्टीकरण की सूचना के तीन दिवस के भीतर सफल बोलीदार को अतिशेष राशि जमा करना अनिवार्य होगी । यदि निर्धारित समय सीमा में अतिशेष राशि जमा कराने में असफल रहता हैं तो उसके द्वारा जमा कराई गई 25% राशि तथा अमानत राशि संबंधित विभाग के पक्ष में राजसात की जायेगी तथा नीलामी निरस्त समझी जावेगी, एवं पुनः नीलामी में वाहन की कीमत कम आती हैं तो पक्षकार से ऐसी हानि/खर्च वसूली योग्य होगा ।

(7) नीलामी में भाग लेने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा, जिसके द्वारा आवश्यक धरोहर की राशि नीलामी के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक, **11-07-2017** को अपरान्ह **3-00** बजे तक नायब नाजीर तहसील कार्यालय पुनासा के पास जमा कराई होगी, अन्य किसी व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। सभी नीलामी में भाग लेने वाले अधिकृत व्यक्तियों को निर्धारित नीलामी स्थान /दिनांक एंव समय पर उपस्थित होना आवश्यक हैं, किसी भी प्रकार का विलम्ब मान्य नहीं किया जावेगा ।

(8) किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर खंडवा का होगा, जो सर्वमान्य होगा, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी । आफेसट प्राईस से अधिक की बोली आने पर भी उक्त बोली को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, उक्त बोली अस्वीकार की जाकर, निलामी निरस्त भी की जा सकेगी ।

(9) आफसेट प्राईस से कम की बोली स्वीकर नहीं की जावेगी तथा नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति कम से कम 500/- से बोली राशि बढ़ा सकेगें, इससे कम राशि की बढाई गई बोली स्वीकार नहीं होगी ।

(10) किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर खंडवा का निर्णय अंतिम होगा जो सर्वमान्य होगा ।

(11) उच्चतम दो बोली लगाने वालो को छोडकर अन्य बोली लगाने वालो की धरोहर राशि उसी दिन वापस कर दी जावेगी ।

(12) वाहन अंतिम रूप से निराकरण होने के पश्चात पक्षकार स्वय के व्यय पर वाहन उठायेगा तथा परिवहन विभाग के नियमों के अधीन सात दिवस में अपने पक्ष में पजीयन करायेगा एव जिसकी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्यतः देगा इस पर होने वाला व्यय स्वय वहन करेगा, शासन द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जावेगा ।

(13) सफल बोलीदार को वाहन प्राप्ति के समय अपना पहचान पत्र (Adress Proof) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(स्वाति मीणा नायक)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा म0प्र0

पृ0क0-क/वित्त/2017/3990
खंडवा दिनांक 20/06/2017

प्रतिलिपि -

1/ आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर ।
2/ समस्त कलेक्टर ---------- -----------म0प्र0 ।
3/ पुलीस अधीक्षक, खंडवा ।
4/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल ।
5/ अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खंडवा ।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6/ अनुविभागीय अधिकारी खंडवा/हरसूद/पंधाना/
7/ अनुविभागीय अधिकारी पुनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7/ तहसीलदार खंडवा/हरसूद/पंधाना/ खालवा ।
8/ तहसीलदार पुनासा की ओर निविदा शर्तो की दस अतिरिक्त प्रतियो सहित सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख हैं कि वाहन की नियमानुसार नीलमी/विकय की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी पुनासा के माध्यम से की जाना सुनिश्चित करें ।
9/ आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ।
10/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत हरसूद/पधाना/मूंदी/ओंकारेश्वर ।
11/ सहायक संचालक जनसम्पर्क खंडवा को विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित ।
12/ प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा कलेक्टोरेट खंडवा ।
की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करे ।

कलेक्टर
जिला - खंडवा (म0प्र0)